

मु० न०:- 129 / 2022

तारीखरजू:- 18.7.22

उनवान:- रूपन्ती बनाम मगनबाई  
दावा बाबत बटवारा, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक  
18/7/22

फर्द अहकाम

वादी की ओर से श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 10.08.2022 को पेश हो।

438893  
18/7/22

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

10.8.22 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक.....6.9.22 को पेश हो।

6.9.22 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी....अ.म.श. पर पधार है। पत्रावली गतानुसार दिनांक...11.10.22 को पेश हो।

11.10.22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उभय श्री मनोज कुमार शर्मा एडवो ने अन्तर्गत आदेश। नियम 10 सहपठित धारा 151 जाप्ता डीवानी पेश किया। मध्य वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। नकल वादी वकील को डिलार्ड गई। वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र एवं तलबी दिनांक 22.11.22 को पेश हो।



22.11.22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उभय वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र एवं तलबी दिनांक 14.12.22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	फर्द अहकाम	
<p>7 25</p>	<p>पत्तापत्ती वाडी वकील के प्राथमिक पत्र दि. 1.8.2024 पर              लख की गई। वाडी एवं वाडी वकील के              उपस्थित होकर इस वापर प्राथमिक पत्र पर              विषय की उपस्थित उन्नयनी प्रकरण में              पडाकारण के मध्य राशिनामा देखा है।              इनके मध्य कोई भी वि वाड भेष नहीं है।              इसलिये उक्त पत्तापत्ती मोर पेल में खाति              की जाती है। पत्तापत्ती फंशल कुत्रा              देख नक्का से कम कर डा रिक् डा पर              है।</p> <p>उप जिला कलेक्टर              टोडाभीम (करौली)</p>	<p>1.8.2024 पर              (1) श-प-र              (2) श-प-र              (3) श-प-र</p>